उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–10

उपस्थित– माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

निर्देश याचिका संख्या–1876/2020

राकेश कुमार खरवार, आयु लगभग 32 वर्ष, पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद, निवासी–ग्राम–रघुनाथपुर (दरावां), बगही तालुका बंसडीह, जनपद–बलिया।

याची।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।

प्रतिपक्षीगण।

याची के विद्वान् अधिवक्ता–श्री राजेश कुमार वर्मा।
प्रतिपक्षीगण की ओर से श्री के0पी0 सिंह विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

(द्वारा माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

प्रस्तुत निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित 15 दिवस वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 26.12.2019 (संलग्नक–1) तथा विपक्षी संख्या–2 द्वारा दण्डादेश के विरूद्व दाखिल अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28.06.2020 (संलग्नक–2) को निरस्त करने एवं 15 दिवस का वेतन मय 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने एवं सेवा संबंधी सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने हेतु दाखिल की गयी है।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता के अनुसार याची की नियुक्ति दिनांक 10.01.2011 को आरक्षी के पद पर हुई थी। याची जब वर्ष 2019 में जनपद वाराणसी के थाना भेलूपुर अनतर्गत चौकी खोजवॉ पर नियुक्त था तो चौकी प्रभारी अस्सी उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी को दिनांक 12.11.2019 को जरिये दुरभाष थाना भेलूपुर द्वारा

शान्ति व्यवस्था डियूटी हेतु तत्काल मोहल्ला सुदामापुर चौकी बजरडीहा पहुॅचने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी तत्काल मय हमराह कां0 रविशंकर राम बजरडीहा के लिए रवाना हुए, रास्ता भटकने से वह चौकी खोजवॉ पहुॅच गये जहॉ याची की निगरानी डियूटी थी। उप निरीक्षक ने देखा कि याची निगरानी डियूटी पर होते हुए कान में ब्लूटूथ लगाये एक पैर दूसरे पैर पर रखकर कुर्सी पर बैठा था, उक्त उप निरीक्षक द्वारा याची से रास्ता पूछा गया, जिस पर याची द्वारा उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी से अनुशासनहीनतापूर्वक आचरण करते हुए अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अभद्रता की गयी। याची उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी से की गयी अनुशासनहीनता, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने करने के संबंध में उसके विरूद्व प्रारम्भिक जॉच क्षेत्राधिकारी भेलूपुर, वाराणसी द्वारा की गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.11.2019 मय जॉच आख्या उ0प्र0 अधीन्सथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली, 1991 के नियम–4(1)(ख)(दो) के अन्तर्गत निर्गत करते हुए उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2019 को प्रस्तुत किया, परन्तु उस पर बिना कोई विचार किये उस के विरूद्व दण्डादेश दिनांक 26.12.2019 (संलग्नक–1) पारित करते हुए 15 दिवस वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। याची ने दण्डादेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.06.2020 (संलग्नक–2) द्वारा निरस्त कर दिया। अतः उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3. विपक्षीगण की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि याची जब वर्ष 2019 में जनपद वाराणसी के थाना भेलूपुर अनतर्गत चौकी खोजवॉ पर नियुक्त था तो चौकी प्रभारी अस्सी उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी को दिनांक 12.11.2019 को जरिये दुरभाष थाना भेलूपुर द्वारा शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु तत्काल मोहल्ला सुदामापुर चौकी बजरडीहा पहुॅचने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी तत्काल मय हमराह कां0 रविशंकर राम बजरडीहा के लिए रवाना हुए, रास्ता भटकने से वह चौकी खोजवॉ पहुॅच गये जहॉ याची की निगरानी डियूटी थी। उप निरीक्षक ने देखा कि याची निगरानी डियूटी पर होते हुए भी कान में ब्लूटूथ लगाये एक पैर दूसरे पैर पर रखकर कुर्सी पर बैठा था, उक्त उप निरीक्षक द्वारा याची से रास्ता पूछा गया, जिस पर याची द्वारा उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी से अनुशासनहीनतापूर्वक आचरण करते हुए अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग

कर अभद्रता की गयी। याची उ0नि0 मुकेश कुमार तिवारी से की गयी अनुशासनहीनता, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने करने के संबंध में उसके विरूद्व प्रारम्भिक जॉच क्षेत्राधिकारी भेलूपुर, वाराणसी द्वारा की गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.11.2019 मय जॉच आख्या उ0प्र0 अधीन्सथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली, 1991 के नियम–4(1)(ख)(दो) के अन्तर्गत निर्गत करते हुए उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2019 को प्रस्तुत किया। याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये तथ्यों पर विचार करते हुए दण्डादेश दिनांक 26.12.2019 (संलग्नक–1) पारित करते हुए 15 दिवस वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। याची ने दण्डादेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.06.2020 (संलग्नक–2) द्वारा निरस्त कर दिया। याची के विरूद्व पारित दण्डादेश व अपीलीय आदेश सकारण और मुखरित आदेश हैं। याची के विरूद्व पारित आदेशों किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। याची द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की गयी है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है जिसमें याचिका में कहे गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. याची पर आरोप है कि जब वह वर्ष 2019 में चौकी खोजवॉ पर नियुक्त था तो चौकी प्रभारी अस्सी उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 12.11.2019 के अनुपालन में उसे थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु तत्काल मोहल्ला सुदामापुर चौकी बजरडीहा पर पहुॅचने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी आरक्षी रविशंकर राम के साथ रवाना हुए, किन्तु रास्ता भटककर वह चौकी खोजवॉ पहुॅच गये जहॉ याची निगरानी डियूटी पर था, उप निरीक्षक ने देखा कि निगरानी डियूटी पर होते हुए भी याची कान में ब्लूटुथ लगाये एक पैर दूसरे पैर पर रखकर कुर्सी पर बैठा था। उप निरीक्षक द्वारा रास्ता पूछने पर याची ने उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी से अनुशासनहीनतापूर्वक आचरण करते हुए अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अभ्रदता की, इस तथ्य की शिकायत उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी द्वारा की गई जिसको जॉच में दोषी पाकर उसके विरूद्व कारण बताओ नोटिस संलग्नक–3 दिनांक 29.11.2019 निर्गत की गयी।

7. उपरोक्त प्रसंग में जॉच क्षेत्राधिकारी भेलूपुर द्वारा की गयी जिसमें उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी ने घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि डियूटी जाने के क्रम में वह रास्ता भटक गया था और चौकी खोजवॉ पर रास्ता पूछने के लिए रूका, वहॉ निगरानी आरक्षी कान में ब्लूटुथ लगाकर बैठा था उसे उसने आवाज लगाते हुए इशारे से बुलाया, किन्तु निगरानी आरक्षी कुर्सी से नहीं उठा, दोबारा आवाज लगाने पर वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नाम पूछने पर आरक्षी ने अपनी नेम प्लेट दिखाते हुए कहा कि पढ़ लीजिये, जब उप निरीक्षक द्वारा यह कहा गया कि कोई अधिकारी पूछेगा तो आप यहीं बतायेंगे, याची ने अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसके बाद वह आम जनता से रास्ता पूछकर अपनी डियूटी हेतु सुदामापुर पहुॅचा और उक्त आरक्षी के विरूद्व थाना भेलूपुर में शिकायत दर्ज करायी। जॉच साक्ष्य में उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के हमराह आरक्षी रविशंकर राम के बयान भी अंकित किये गये है जिसने अपने बयान में कहा है कि चौकी खोजवॉ में याची कान में ब्लूटुथ लगाये एक पैर पर दूसरा पैरा रखकर बैठा था। चौकी प्रभारी द्वारा इशारा करके बुलाने पर वह उठा नहीं, दोबारा बुलाने पर नाराजगी जताते हुए पास आया। नाम पूॅछने पर उसने अपनी नेम प्लेट दिखाते हुए कहा कि पढ़ लीजिये। याची से उप निरीक्षक द्वारा यह कहने पर कि कोई अधिकारी पूछेगा तो ऐसे ही कहोगे। आरक्षी याची ने कहा कि वह उसे नहीं पहचानता, इस समय वह निगरानी डियूटी पर है। चौकी इंचार्ज ने कहा कि वह वर्दी में है इसलिए न पहचानने वाली कौन सी बात है। उपरोक्त क्रम में राजीव रंजन उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक, भेलूपुर का भी बयान अंकित किया गया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि चौकी खोजवॉ पर आरक्षी राकेश कुमार खरवार दिनांक 28.10.2017 से नियुक्त था जिसकी कार्य प्रणाली व कार्य सरकार सही न करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी। दिनांक 12. 11.2019 को चौकी प्रभारी अस्सी मुकेश कुमार तिवारी द्वारा चौकी बजरडीहा जाने का रास्ता पूॅछने पर याची ने अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। उक्त क्रम में संजीव कुमार आरक्षी भेलूपुर, वाराणसी का भी बयान अंकित किया गया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी ने भेलूपुर थाने में याची के विरूद्व रिपोर्ट लिखवाई थी। मुख्य आरक्षी संजय सिंह, चौकी खोजवॉ, थाना भेलूपुर ने अपने बयान में कहा है कि याची दिनांक 12.11. 2019 को 12.30 बजे दिन में चौकी कार्यालय में बैठकर कार्य सरकार कर रहा था उस समय याची बाहर बरामदे में बैठा था। चौकी इंचार्ज अस्सी मुकेश कुमार तिवारी के बीच क्या बात हुई उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं गेट के अन्दर था। बाद में उसे चौकी इंचार्ज ने बताया कि निगरानी आरक्षी ने मुझसे सही से बात नहीं किया।

8. इस संबंध में आरक्षी याची राकेश कुमार खरवार के बयान भी अंकित किये गये है जिसने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.11.2019 को वह चौकी खोजवॉ में निगरानी डियूटी पर था कि 12.30 बजे दिन में हेलमेट लगाये मोटर साईकिल से एक दरोगा आरक्षी के साथ चौकी के सामने रोड पर रूके और उसे इशारा करके बुलाए, तत्काल वह उठकर नियमानुसार अभिवादन किया, नाम पूछने पर उसने अपना नाम बताया, उन्होंने उससे रास्ता नहीं पूछा था। अपने बयान में आरक्षी ने कहा है कि उसने कोई ब्लूटुथ नहीं लगाया था।

9. अपने स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2019 में याची ने स्वीकार किया है कि दिनांक 12.11.2019 को वह अल्पकाल के लिए चौकी निगरानी डियूटी पर था। मोबाइल रेडिएशन से सुरक्षार्थ उसने ब्लूटुथ डिवाइस का प्रयोग किया था जिसका उद्देश्य रेडिएशन से बचना था तथा आदेश–निर्देश सूचना आदि प्राप्त करके उसका जवाब देना था। याची के अनुसार उसने कोई अभद्रता उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी से नहीं की थी। जब उप निरीक्षक ने उसे बुलाया उस समय उसके मोबाइल पर कॉल आयी जिसे वह अटेण्ड करने लगा जिससे दरोगा जी नाराज हो गये।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि याची ने जॉच के समय जॉच अधिकारी के समक्ष कहा था कि उसने कोई ब्लूटुथ नहीं लगाया था जबकि स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2019 में याची ने स्वीकार किया है कि उसने ब्लूटुथ लगाया था और सफाई में यह कहा है कि इसका उद्देश्य रेडिएशन से बचना था। यह तथ्य अपने आप में सिद्व करता है कि याची मिथ्या अभिवचन कर रहा है तथा तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर सुविधानुसार अपने पक्ष में प्रयोग कर रहा है। यह एक मात्र तथ्य याची की विश्वनीयता को संदिग्ध बनाता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी याची के विभाग के ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है जोकि रास्ता भटक–कर हमराह आरक्षी के साथ याची की चौकी पर पहुॅच गये थे उस समय याची का यह नैतिक उत्तरदायित्व था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी का नियमानुसार अभिवादन कर उन्हें सही रास्ता बतलाता, किन्तु उसने उनके साथ अभद्रता की और जॉच के समक्ष यह झूठ कहा है कि उसने घटना के समय ब्लूटुथ नहीं लगाया था जबकि स्पष्टीकरण में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना के समय उसने ब्लूटुथ लगाया था। उप निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी याची के ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी है तथा उनके हमराह आरक्षी रविशंकर राम याची के ही विभाग के आरक्षी हैं, याची से उनकी पूर्व में कोई दुश्मनी नहीं है जिसके कारण वह मिथ्या आरोप लगायेंगे, यह विवेकशील प्राणी के स्तर से स्वीकार नहीं किया जा सकता, साथ ही भेलूपुर थाना अन्तर्गत

चौकी खोजवॉ के प्रभारी निरीक्षक ने अपने बयान में कहा है कि याची राकेश कुमार खरवार की पूर्व में भी शिकायते प्राप्त हो रहीं थी।

11. उपरोक्त संदर्भ में दण्डादेश दिनांक 26.12.2019 संलग्नक संख्या–1 का अवलोकन करने से विदित होता है कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी ने याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर सम्यक् विचार करके अपना दण्डादेश पारित किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण निमयाचली 1956 के नियम–5 के उप खण्ड–4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रत्येक सरकारी कम्रचारी, सभी लोगों के साथ चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा, परन्तु आरोपी आरक्षी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुये अभद्रता किया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक् अवलोकन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर आता हूॅ कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी ने सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये सम्पूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए याची के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए उसे निरस्त कर उसे 15 दिवस वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से आदेश दिनांक 26.12.2019 संलग्नक–1 द्वारा दण्डित किया है, साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा भी समस्त बिन्दुओं पर विचार करके सकारण और मुखरित आदेश दिनांक 28.06.2020 संलग्नक–2 से याची की अपील को निरस्त किया है। दोनों ही आदेश विधि द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुए पारित किए गए हैं जो सकारण और मुखरित आदेश हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जिसके कारण याची की याचिका निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका निरस्त की जाती है।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0 / –
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0 / –
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः 19 अगस्त, 2026
एम0ए0 / पी0एस0।